उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग–3
संख्याःसा–3–1287/दस–2010
लखनऊ : दिनाँक : 28 जुलाई, 2010

(5)

कार्यालय–ज्ञाप

विशेष जोखिम भरे कार्य करते समय सरकारी सेवकों की मृत्यु पर उनके परिवारों को उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज (असाधारण) पेंशन नियमावली के नियम–10 सपठित शासनादेश संख्या–सा–3–1340/दस–88–910/88, दिनाँक 19 अगस्त, 1988 के प्रस्तर–2 में वर्ग 1,2,3 एवं 4 के कर्मचारियों के लिए क्रमशः रू0 50,000/–, रू0 40,000/–, रू0 30,000/– एवं रू0 20,000/– अनुग्रह धनराशि के रूप में दिये जाने की व्यवस्था है।

2– वेतन समिति उत्तर प्रदेश, 2008 की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनाँक 01–01–2006 के उपरान्त सेवानिवृत्त / मृत कार्मिकों की पेंशन/ ग्रेच्युटी/ पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की दरों का पुनरीक्षण किये जाने संबंधी कार्यालय–ज्ञाप संख्या–सा–3–1508/दस–2008, दिनाँक 08–12–2008 के प्रस्तर–9 की व्यवस्थानुसार दिनाँक 01 जनवरी, 2006 से अनुग्रह धनराशि की दरें निम्नानुसार संशोधित की जा चुकी हैः–

रूपया

(क)	यदि कर्तव्यपालन की अवधि में दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है	10,00 लाख
(ख)	कर्तव्यपालन के समय आतंकवादी / अराजकतत्वों की गतिविधियों में हुयी हिंसा के फलस्वरूप हुयी मृत्यु	10,00 लाख
(ग)	देश की सीमा पर अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध या सीमा पर छुटपुट घटनाओं / अथवा लड़ाकू / आतंकवादियों, अथवा अतिवादी आदि की गतिविधियों के फलस्वरूप मृत्यु होने पर	15,00 लाख
(घ)	अति दुलर्भ पहाड़ी ऊचाँइयों/ दुलर्भ सीमा अथवा प्राकृतिक विपदाओं अथवा अति खराब मौसम में कर्तव्यपालन करते हुए मृत्यु होने पर	15,00 लाख

उक्त कार्यालय–ज्ञाप में यह व्यवस्था भी की गयी है कि संगत नियम उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

3– तद्नुसार शासनादेश दिनाँक 19–08–88 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

भवदीय,

अनूप मिश्र
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या–सा–3–1287(1)/दस–2010, तद्दिनाँक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– समस्त सचिव / प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
3– प्रमुख सचिव, विधान सभा / विधान परिषद, उ0प्र0 सचिवालय।
4– समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5– निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
6– निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7– समस्त कोषागार, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
संयुक्त सचिव।